न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 56/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. गोकली पत्नी वालजी डांगी, निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. दौली पत्नी भगवान डांगी, निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
3. गंगा पत्नी हीरालाल डांगी, निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. पेमी बाई पत्नी पेमजी डांगी, निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा मृतक के बजाय :–

1/1. मोड़ीलाल पिता स्वर्गीय पेमजी पटेल, नि0 चावण्ड, तह0 सराड़ा, जिला उदयपुर

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, सराड़ा दिनांक
08–06–2015 प्रकरण संख्या 10/2012

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री कल्पित जैन अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 30–10–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चावण्ड में खाता संख्या 388 की आराजी नंबर 2139 से 2148 कुल किता 10 रकबा 1.30 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादिया पेमीबाई का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी अम्बालाल का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित है एवं इसी अनुसार पक्षकार काबिज हैं, किन्तु भूमि का विधिवत पांती बंटवारा नहीं होने से असुविधा होता है। अतः वादीया का वाद स्वीकार कर विवादित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विधिवत पांती बंटवारा किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

दिनांक 20–04–2012 को वादिया/प्रार्थीया ने आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दौराने वाद कार्यवाही प्रतिवादी अम्बालाल ने अपना 1/3 हिस्सा गोकली पत्नी वालजी, दोली पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:06 IST
Reason: SelfAttested

भगवानजी व गंगा पत्नी हीरालाल डांगी को विक्रय कर दी, जो नामान्तरकरण संख्या 753 से तीनों क्रेताओं का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त तीनों क्रेताओं को प्रतिवादी अम्बालाल के स्थान पर संस्थित किया जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार अपने निर्णय दिनांक 27–09–2013 से वादिया का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 08–06–2015 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–05–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 बावजूद सूचना अनुस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को प्रथम बार माह मई के अंतिम सप्ताह में तब हुई जब रेस्पोन्डेन्ट मौके पर जबरन कब्जा करने आये। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने समस्त सहखातेदारों को सुने बिना एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलान्टगण की कोई सम्यक तामिल अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं करवायी गयी है। प्रारम्भिक डिक्री जारी होने के करीब 2 बर्ष बाद अंतिम डिक्री जारी की गयी है, जबकि अंतिम डिक्री के लिए एक विहित समय प्रक्रिया होती है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि लोक अदालतों में सिर्फ राजीनामें वाले प्रकरणों का ही निस्तारण किया जाता है, जबकि दोनों पक्षों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है, अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण की बिना तामिल हुए एवं उन्हें बिना सुने एकपक्षीय डिक्री जारी की है, जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:06 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट के हक में बंटवारा अनुसार अंकन किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक 1 ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्टगण का मुख्य उजर यह है कि उन्हें सम्मय तामिल नहीं हुई है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध सम्मनों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट संख्या 1 व 2 क्रमशः गोकली व दोलीबाई का सम्मन उसके देवर हीरालाल द्वारा प्राप्त किया गया है, जबकि अपीलान्ट संख्या 1 गंगाबाई का सम्मन उसके पति हीरालाल द्वारा प्राप्त किया गया है। इस प्रकार सम्मन की तामिल परिवार के सदस्य पर होने के कारण प्रोपर तामिल माने जाने का प्रावधान है। अधिनस्थ न्यायालय में राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन करने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की है तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री 27–09–2013 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08–06–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:06 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

गोकली पत्नी वालजी डांगी, निवासी ग्राम चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर व अन्य	बनाम	**पेमीबाई मृतक के बजाय मोड़ीलाल पिता स्वर्गीय पेमजी पटेल, निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**56 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .....**सराड़ा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....08**.....माह.....**06**.....**2015**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**30**.....माह.....**10**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री कल्पित जैन**.....मिनजानिब अपीलान्ट व..... **श्री कलमेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री 27–09–2013 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08–06–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
...
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**30**.....माह.....**10**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:06 IST
Reason: SelfAttested